भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006

बीछ्वाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

भाकृअनुप ICAR

पत्रावली क्रमांक:07(ii)05/CS/Driver/2022-23/3815-56 दिनांक: 03.08.2022.

25.

संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र में पॉवर टिल्लर एवं ट्रेक्टर चालक सीमित निविदा अनुबंध के आधार पर उपलब्ध करवाने निविदा संस्थान कार्यालय में दिनांक 05.09.2022 को दोपहर 3.00 बजे आमंत्रित की जावेगी।

नियम /शर्ते

संस्थान प्रक्षेत्र मे ट्रेक्टर व पावर ट्रिलर चलाने हेतु सीमित अनुबन्ध के लिये वाहन चालक उपलब्ध करवाने हेतु नियम व शर्ते

1. संस्थान के ट्रेक्टर चलाने का कार्य को सीमित अनुबन्ध [Limited Contract] पर चलाने के लिये न्यूनतम सर्विस चार्ज की दर ही स्वीकार की जावेगी। दर प्रतिमाह के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।
2. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से (1+1 अधिकतम 3 वर्ष) एक वर्ष तक वैध रहेगी लेकिन अनुबन्ध की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार / अनुबंधित फर्म की होगी।
3. फ़र्म के वाहन चालक को ट्रेक्टर व पावर ट्रिलर आदि चलाने का अनुभव होना चाहिए एवं इस हेतु वैध ड्राईविगं **भारी वाहन** लाइसेंस [ट्रेक्टर चलाने चलाने से संबधित होना चाहिये]।
4. ट्रेक्टर चलाने का कार्य प्रतिदिवस 08 घटें रहेगा तथा समय अवधि प्रभारी प्रक्षेत्र / फार्म मैनेजर द्वारा निर्धारित की जावेगी।
5. फ़र्म के वाहन चालक के पास लाईट व हैवी दोनों प्रकार के वाहन चलाने का लाईसेन्स होना अनिवार्य है। चालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा 45 साल से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिये। चालक की दृष्टि (आँखे) कमजोर नहीं होनी चाहिये।
6. फ़र्म के वाहन चालक/ट्रेक्टर चालक को कार्यालय समय के अतिरिक्त आकस्मिक आधार पर किसी भी समय आवश्यकता होने पर ट्रेक्टर चालक / पावर ट्रिलर चलाने हेतु बुलाया जा सकता है। ऐसी **विशेष** परिस्थिति मे बुलाये जाने पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना पड़ेगा तथा इस हेतु कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।
7. फ़र्म के वाहन चालक / ट्रैक्टर चालक को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे। कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबधित फर्म की होगी।
8. फ़र्म के वाहन चालक/ट्रैक्टर चालक को कार्यालय में समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। ट्रैक्टर चालक को समय पर उपस्थित नहीं हो सकने या देर होने या अनुपस्थित रहने की स्थिति में दूसरा चालक तुरन्त प्रभाव से उपलब्ध करवाना आवश्यक है, ऐसा विशेष परिस्थिति में ही स्वीकार किया जावेगा। ऐसे एवजी चालक में उपरोक्त सभी योग्यताएँ होना अनिवार्य है। साथ ही ऐसी परिस्थिति में प्रभारी फॉर्म /फार्म मैनेजर को अवगत कराया जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर अनुबधित फर्म /ठेकेदार के बिल मे से कटौती की जा सकती है जिसकी न्यूनतम राशि प्रतिदिवस रु 200/- प्रति लेबर होगी/अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
9. फ़र्म के वाहन चालक/अनुबन्धकर्ता को भारत सरकार द्वारा जारी श्रमिक कानूनों एवं इस सम्बन्ध मे समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
10. फ़र्म के वाहन चालक/ ट्रैक्टर चालक को ट्रेक्टर चलाने के साथ–साथ वाहन ट्रेक्टर /पावर ट्रिलर के रख–रखाव का भी ध्यान रखना होगा एवं किसी भी प्रकार की रख–रखाव इत्यादि हेतु प्रभारी फार्म / फार्म मैनेजर को तुरंत बताना होगा।
11. फ़र्म के वाहन चालक/ ट्रैक्टर चालक संस्थान में कर्तव्य निस्पादन के दौरान किसी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन नहीं करेंगें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी/अनुबन्ध को निरस्त करते हुये परफोरमेस सिक्योरिटी राशि जब्त करली जावेगी।
12. फ़र्म के वाहन चालक /चालक द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये परफोरमेस सिक्योरिटी जब्तं करली जावेगी।
13. फ़र्म के वाहन चालक से अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति स्वयं ठेकेदार को करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट लिया जावेगा।

14. फ़र्म के वाहन चालक / चालक द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चौरी /क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली ठेकेदार फर्म से कि जावेगी या बिल मे से काट ली जावेगी एंव अनुबन्ध निरस्त कर परफोरमेस सिक्योरिटी जब्त कर ली जावेगी।

15. अनुबंध कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निर्धारित समय अवधि में किया जावेगा।

16. Any subsequent in Minimum Wages by the Govt of India will be reimbursed to the Contractor. No request for any increase in the service charge, to be quoted and payable to the Contractor/Agency.

17. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार आयकर एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज तथा जीएसटी राशि की भी कटौती की जावेगी। **फर्म के पास जीएसटी नम्बर होना आवश्यक होगा।**

18. फ़र्म के वाहन चालक को ट्रैक्टर / पावर ट्रिलर चलाने से पूर्व वाहन की साफ–सफाई, आयल–ग्रीस, हवा, पानी, ईधन आदि से संबंधित समस्त कार्य एवं जांच की पूर्ण जिम्मेदारी रखनी होगी। साथ ही ट्रैक्टर व पावर ट्रिलर चालक को वाहन के ईंधन, आयल, टायर आदि की मितव्ययता का भी ध्यान रखना होगा। ट्रैक्टर / पावर ट्रिलर में किसी भी प्रकार की खराबी की सूचना तुरन्त प्रभाव से प्रभारी फार्म / फार्म मैनेजर को देनी होगी।

19. फ़र्म के वाहन चालक अनुबन्धकर्ता द्वारा ट्रैक्टर चालकों को स्वयं के खर्चे पर वर्दी उपलब्ध करवानी होगी। एंव कार्य के समय पर वर्दी पहन कर उपस्थित होना होगा।

20. फ़र्म को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार/ राजस्थान सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पूर्णतया पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय– समय पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। मैनपावर को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी मैनपावर द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार/अनुबधित फर्म की होगी।

21. मैनपावर के बारे में निर्धारित रजिस्टर, लेखा जोखा आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार/अनुबधित फर्म को रखने होगें।

22. ट्रैक्टर / पावर ट्रिलर चलाने से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी प्रज्ञेत्र/फार्म मैनेजर के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा।

23. ठेकेदार फर्म द्वारा मैनपावर का परिचय–पत्र ठेकेदार बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र जारी करवाकर प्रभारी प्रज्ञेत्र को प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। मैनपावर को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही मैनपावर का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

24. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/ मैनपावर स्वयं जिम्मेदार होगें तथा संस्थान द्वारा

25. किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।

26. अनुबंध अन्तर्गत जमा करवाई गई परफोरमेस सिक्योरिटी राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त प्रभारी प्रज्ञेत्र से अनापति प्रमाण पत्र देय वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान फर्म का कार्य असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई परफोरमेस सिक्योरिटी राशि को जब्त कर लिया जावेगा।

27. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार /फर्म को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।

28. किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के, बीकानेर को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा। सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार बीकानेर होगा।

29. यह कार्य केवल सीमित अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसकी मैनपावर का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

29. संस्थान्न कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

30. अनुबंधित फर्म ठेकेदार को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा एवं परफोरमेस सिक्योरिटी नियमानुसार डिमांड ड्राफ्ट के रुप में प्रस्तुत करनी होगी।

31. ठेकेदार/ अनुबंधित फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन चालक का पुलिस वैरिफिकेशन करवाते हुये कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

25-8-202

(रमेश)

प्रशासनिक अधिकारी

प्रशासनिक अधिकारी
ADMINISTRATIVE OFFICER
भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
बीकानेर/BIKANER

Director 0151-2250147
AO/AAO 0151-2253123
EPABX 0151-2250960
Fax 0151-2250145
Email ciah@nic.in

भाकृअनुप
ICAR

भा.कृ.अनु.प. –केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - Central Institute for Arid Horticulture

Sriganganagar Highway, Beechwal Indl. Area Post Office, Bikaner (Raj.)-334006

पत्रावली क्र.:07(ii)05/CS/Driver/2019-20 दिनांकः .08.2022.

सीमित अनुबंध प्रपत्र

सेवा में
श्रीमान निदेशक,
भा.कृ.अनु.प. –केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान,
बीछवाल, बीकानेर 334006

क्र.सं.	विवरण	दर प्रति माह [26 days] प्रति वाहन चालक सभी करों सहित (अंको व शब्दों में रु.) **[Rs. 484/- will be incresed 'OR' decreased as per Govt.of India notification]** **@ रु. 484/- per day x 26 = 12584.00**
1.	संस्थान प्रक्षेत्र मे ट्रैक्टर /पावर ट्रिलर चलाने से संबंधित कार्य को सीमित अनुबन्ध के आधार पर सम्पन्न करवाने हेतु 02 वाहन चालक उपलब्ध करवाने के क्रम में जॉब कोन्ट्रेक्ट हेतु सर्विस चार्ज।	**Service Charge [To be quoted by Firm]** **Per month.** ____________________
		रु. ____________________

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें कोटेशन में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के ट्रैक्टर /पावर ट्रिलर चलाने से संबंधित कार्य को सीमित अनुबन्ध के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान में ट्रैक्टर व पावर ट्रिलर चलाने का कार्य प्रभारी प्रक्षेत्र /फार्म मैनेजर से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार कार्य पूर्ण करुँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से कुशलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली परफोरमेस सिक्योरिटी राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझें व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त कोटेशन प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यो का पूर्ण ज्ञान है।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत सरकार /राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि उपरोक्त अनुबन्ध कार्य हेतु प्राप्त कोटेशन में न्यूनतम अथवा किसी अन्य कोटेशन को स्वीकार करने हेतु संस्थान बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरी फर्म व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस के संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।